GENERAL INSTRUCTIONS / सामान्य निर्देश

1. Application forms for admission to different programs run by the University for the session 2023-24 are invited through **Online mode only**. The online application could be made by clicking on the 'Admission' tab on the **University website** **http://dsmru.up.nic.in.** Online registration is mandatory for filling the online application form
   सत्र 2023–24 में विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदन फार्म केवल ऑनलाइन रूप से भरा जाएगा। ऑनलाईन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://dsmru.up.nic.in पर दिए 'Admission' टैब के माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य है।
2. The candidates must carefully read the conditions of eligibility as given in the general instructions and must satisfy themselves regarding their eligibility before filling the application form.
   आवेदन फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी सामान्य निर्देशों के अंतर्गत दिए गए आर्हता शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लें तथा अपनी आर्हता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लें।
3. Candidates should note that their candidature regarding admission in any program is strictly provisional.
   अभ्यर्थी इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उनकी उम्मीदवारी पूर्ण रूप से औपबंधित है।
4. A UNIQUE REGISTRATION ID will be generated after registration through online mode.
   ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंतर्गत पंजीकरण करने के उपरांत एक यूनिक आई.डी. आवंटित की जाएगी।
5. If there is any mistake while filling the registration details, it cannot be corrected. However, one can simply register once again and a new registration with another unique ID will be generated but once the registration fee has been paid and the application is confirmed by the system, no changes can be made in the details filled with the registration ID.
   यदि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के दौरान आप से पंजीकरण करने में किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है, तो उसे सुधारा नहीं जा सकता है। इस स्थिति में आपको पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया को दुहराना होगा तथा एक नवीन यूनिक पंजीकरण आई.डी. आवंटित की जाएगी, लेकिन जब एक बार आपने पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है तथा ऑनलाइन आवेदन प्रणाली ने आपके आवेदन को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया है तो उस आवंटित पंजीकरण आई.डी. में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
6. The candidates are required to read carefully the general instructions before filling-up the application form. The candidates must fill the details clearly. The applications with wrong and ambiguous information will not be considered.
   आवेदन–पत्र भरने से पूर्व सामान्य निर्देशों को भली–भाँति पढ़ लें। गलत, अस्पष्ट सूचनाओं वाले आवेदन–पत्र पर विचार करना संभव नहीं होगा।
7. Separate Application Forms should be filled for each Program along with fee. Once registered, fee paid will not be refunded under any circumstances.
   प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए पृथक आवेदन–पत्र एवं शुल्क जमा करना होगा। प्रवेश के उपरान्त किसी भी दशा में शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
8. In each category, 50% seats will be reserved for Divyang applicants and amongst them further 50% of seats shall be reserved for visually impaired applicants as prescribed under clause - 17(2) of Dr. ShakuntalaMisra National Rehabilitation University Act, 2009.
   डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ अधिनियम, 2009 की धारा–17(2) के अधीन प्रत्येक वर्ग में उपरोक्त सीटों में 50 प्रतिशत सीटें दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी, उनमें से आधी सीटें (अर्थात कुल सीटों का 50 प्रतिशत) दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।
9. The Schedule Caste/ Schedule Tribes and Other Backward Classes (Non-Creamy Layer) candidates originally belonging to Uttar Pradesh will be given the benefit of Reservation. Schedule Caste/ Schedule Tribes and Other Backward Classes candidates of other states will be treated as general.
   वे अभ्यर्थी जो अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन–क्रीमी लेयर) के हैं तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं, उन्हें ही आरक्षण का लाभ देय होगा तथा अन्य प्रदेशों के अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के माने जायेंगे।
10. The reservation shall be given as permissible under the Uttar Pradesh Government/ DSMNR University rules.

11. Candidates holding 'C' certificate of NCC or 250 hours of NSS or certificate of participation in Inter-State/National/International Sports Competition will get a weightage of 02 marks. There shall be maximum weightage of 2 marks only, under all circumstances. 2% seats are reserved for the wards of Freedom Fighters.As per existing policy of reservation in admission of this University, 10% seats are reserved for the University staff and their wards in different programmes. These seats shall be adjusted against quota of students in their respective category.
एन0सी0सी0 के **'सी'**प्रमाण–पत्र अथवा 250 घण्टों का एन0एस0एस0 या अन्तर्राज्जीय/राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय खेल–कूद प्रतिभागी प्रमाण–पत्र वाले अभ्यर्थियों को 02 अंको का भारांक मेरिट पर दिया जायेगा। किसी भी दशा में 02 अंको से ज्यादा भारांक नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम सैनानियों के आश्रितों के लिये 02 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी हैं। विश्वविद्यालय की वर्तमान नीति के अनुरूप विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में समस्त स्टाफ एवं उनके प्रतिपाल्य के लिये 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गयी है। ये सीटे अभ्यर्थी के सम्बन्धित वर्ग के कोटे से ली जाएगी।
12. Applicants belonging to any reserved category must upload a clear copy of valid caste/ category/ disability certificate along with the online application to claim such benefit.
आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को वैध जाति/ श्रेणी/ दिव्यांगता प्रमाणपत्र की स्पष्ट प्रति आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. Subject allocation will be as per the guidelines of NEP 2020. (wherever applicable)
विषय आवंटन एन0ई0पी0 2020 के मानकों के आधार पर होगा। (जहाँ लागू हो)
14. The programs including B.Ed. Spl. Ed. (H.I./ V.I./ I.D.) which are being run in the affiliated colleges (list attached in the admission brochure) will be admitted on the basis of the combined merit of marks obtained in entrance examination and/or interview conducted by the University.
बी0एड0 विशेष शिक्षा (एच0आई/वी0 आई0/ आई0डी0) सहित अन्य पाठ्यक्रम जिनका संचालन विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों मे किया जा रहा है, उन पाठ्यक्रमों मे प्रवेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं/अथवा व्यक्तिगत साक्षात्कार पर तैयार मेरिट से दिया जाएगा।
15. The University Rules and Regulations shall be followed by the students and an "UNDERTAKING" in this regard needs to be signed by the candidate at the time of admission.
विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों का छात्रों द्वारा पालन किया जायेगा और प्रवेश के समय इस सम्बंध में एक 'घोषणा' अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी।
16. The applicant need NOT to submit the HARD COPY of the online application. All the relevant documents have to be mandatorily uploaded on the University website while filling online application. The candidate needs to produce the hard copy of all the relevant documents at the time of counselling/ interview.
ऑनलाइन आवेदन पत्र समस्त सम्बंधित आवश्यक दस्तावेजों के साथ अनिवार्य रूप से ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। आवेदन पत्र की हार्डकॉपी को विश्वविद्यालय में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी को काउन्सलिंग/ साक्षात्कार के समय अपने सभी सम्बन्धित अभिलेखों की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।
17. An amount deposited as programme caution money will be refunded on completion of the Program after submission of 'No Dues Certificate.'
पाठ्यक्रमवार कॉशनमनी के रूप में ली गयी धनराशि पाठ्यक्रम पूर्ण होने पर अदेयता प्रमाण.पत्र प्रस्तुत करने पर वापस कर दी जायेगी।
18. Applications submitted on any other format other than online application will not be accepted.
प्रवेश हेतु ऑन लाईन आवेदन के अलावा किसी भी अन्य प्रारूप पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
19. Candidates, who are facing any difficulty in online filling of admission form, can contact us on the numbers available on the admission portal between 9:00am to 7:00 pm.
ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें ऑनलाइन प्रवेश फॉर्म भरने की प्रक्रिया में कठिनाई हो रही हो, वे हमें प्रवेश पोटग्ल पर दिए गए नम्बरों पर संपर्क कर सकते है।
20. After successfully applying for any program through Online mode the acknowledgement slip needs to be compulsorily downloaded.
ऑनलाइन माध्यम से किसी पाठ्यक्रम में आवेदन करने के उपरान्त अनिवार्य रूप से पावती रसीद डाउनलोड़ कर लें।
21. Candidates are required to check the University website regularly for any notice or information regarding admission. The University reserves the right to alter/ modify the admission schedule of any program/program. The intimation for same shall be notified on the University website only.

अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि प्रवेश से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की जानकारी/सूचना हेतु नियमित विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखें। किसी पाठ्यक्रम की प्रवेश सारणी में संशोधन/ परिवर्तन करने का समस्त अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित है। विश्वविद्यालय द्वारा उक्त सूचना केवल विश्वविद्यालय की वेबसाईट के माध्यम से दी जाएगी।

22. The merit list and information related to admission will be made available from time to time on the University website only.
श्रेष्ठता सूची एवं प्रवेश से सम्बन्धित सूचना समय–समय पर केवल विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी।

23. Applicants need to mention all the subjects in which they have passed the examination. The percentage of marks obtained must be mentioned upto two decimal points. Wherever grading system is applicable, mention equivalent percentage/marks and attach grading conversion formula.
उन सभी विषयों के प्राप्तांकों का योग दें, जिनमें अभ्यर्थी ने परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्राप्तांक प्रतिशत दशमलव के दो अंकों तक अवश्य दें। जहाँ ग्रेडिंग व्यवस्था लागू है, समकक्ष प्रतिशत/अंकों का उल्लेख करें एवं ग्रेडिंग परिवर्तन सूत्र संलग्न करें

24. In case of any dispute regarding admission, decision of the University will be final and binding upon the candidates.
प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद की स्थिति में विश्वविद्यालय का निर्णय ही अन्तिम एवं बाध्यकारी रूप से मान्य होगा।

25. Notice regarding admission and counselling will not be sent to the candidates separately. List of the selected candidates will be displayed on the University website. Hence, candidates are required to check the University website regularly. No other mode of communication will be entertained.
अभ्यर्थियों को प्रवेश तथा काउन्सिलिंग से संबंधित सूचना व्यक्तिगत रूप से प्रेषित नहीं की जायेगी। चयनित अभ्यर्थियों की सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं अद्यतन स्थिति से अवगत हों। अन्य किसी माध्यम से संवाद नहीं होगा।

26. All the legal disputes pertaining to the admission shall be subject to Lucknow Judicature only.
प्रवेश से संबंधित सभी कानूनी विवादों का न्यायक्षेत्र लखनऊ ही होगा।

27. If two or more candidates have secured equivalent marks/ rank in the merit list, then the priority between them will be determined as per the following provisions-
   a. If the marks secured by the applicants in the entrance test are same, in such a case first priority will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks in graduation or equivalent examination.
   b. If the marks secured by the applicants in the entrance test and graduation are same, in such a case first priority will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks in 10+2 or equivalent examination.
   c. If the marks secured by the applicants in the 10+2 or equivalent examination are same, in such a case first priority will be given to the candidate who has secured higher percentage of marks in high school or equivalent examination.
   d. If the marks secured at the high school or equivalent examination are also the same, in such a case the candidate who is older in age will be given priority.

दो या दो से अधिक आवेदकों की योग्यता सूची मे स्थान अथवा अंक समान होने पर उनके मध्य वरीयता निम्नलिखित प्रावधानो के अनुसार निर्धारित की जायेगी।
(अ) यदि अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक बराबर है तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसके स्नातक या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये है।
(ब) यदि अभ्यर्थियों के प्रवेश परीक्षा एवं स्नातक में प्राप्त अंक बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसके कक्षा 10+2 या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये है।
(स) यदि अभ्यर्थियों के कक्षा 10+2 या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक भी बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में पहली वरीयता उस अभ्यर्थी को दी जायेगी जिसने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा में उच्चतर प्रतिशत प्राप्त किये है।
(द) यदि हाई स्कूल में प्राप्त अंक भी बराबर है तो ऐसी स्थिति में आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।

29. **Regarding refund of admission fee-**

Before the completion of admission process in the concerned program and within 15 days of admission, the candidate must give a written request letter to the Convenor, Admission Committee/ Registrar, University, stating the reason for not wanting to study in the University and to consider the refund of fee.

Based on the following conditions the University Administration will take the decision on the request letter given by the Candidate-

1. The Candidate has not attended any class during the above mentioned period
2. The Candidate must clearly mention the appropriate reason for refund of fee.

The decision of the University administration regarding the refund of fee will be considered as final and binding.

प्रवेश शुल्क वापसी के संबंध में–
संबंधित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने से पूर्व एवं प्रवेश के 15 दिवस के अर्न्तगत अभ्यर्थी द्वारा संयोजक, प्रवेश समिति/कुलसचिव विश्वविद्यालय को इस आशय का लिखित अनुरोध पत्र कारण सहित प्रेषित करेगा कि वह विश्वविद्यालय में अध्ययन नही करना चाहता है तथा शुल्क वापस किये जाने पर विचार किया जाये।
अभ्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रार्थना–पत्र पर निम्न शर्तो के अधीन विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

1. अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित अवधि में किसी भी कक्षा में उपस्थित होकर शिक्षा हेतु प्रतिभाग नही किया गया हो।
2. अभ्यर्थी द्वारा फीस वापसी/अध्ययन करने हेतु उचित कारण का उल्लेख किया जायेगा।

शुल्क वापसी के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय प्रशासन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

30. Candidates applying for admission to second post-graduate program should have secured at least 65 per cent program in the first post-graduate program and they will be considered only after the approval of Hon'ble Vice-Chancellor of the University on the basis of merit. Such students will not be provided Hostel facility.

जो अभ्यर्थी दूसरे विषय में परास्नातक करना चाहते हैं उनका प्रथम परास्नातक में न्यूनतक 65 प्रतिशत अंक तथा विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदन के उपरान्त सम्बन्धित विषय में प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।

31. Admission will not be given for third post-graduate program in the University.

विश्वविद्यालय में तीसरे परास्नातक पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश नहीं दिया जायेगा।